तारीख हुक्म	न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छोटीसादड़ी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रे.फौ. प्रकरण संख्या: 302/2023 राज्य बनाम अशोक कुमार वगैरह अन्तर्गत धारा 451, 341, 323/34 भा.दं.सं.	नम्बर व तारीख अहकाम या इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक: 13/03/2024 अभियुक्तगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली सिगे से तलब कर आज पेशी में ली गई। अभियुक्तगण अशोक कुमार, चन्द्रशेखर व गोविन्द मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियोजन अधिकारी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया जाकर अभियुक्तगण को **धारा 451, 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता** का आरोप सारांश मय विशिष्ठियों के मौखिक सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन–समझकर अध्यारोपित अपराध को स्वीकार किया तथा स्वेच्छया जरिये अधिवक्ता जुर्म स्वीकार करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मुल्जिमान द्वारा की गई उपर्युक्त जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुल्जिमान 01. अशोक पिता गोपाल सिंह, निवासी–छोटीसादड़ी, पुलिस थाना–छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) 02. चन्द्रशेखर पिता गोपाल सिंह, पिता गोपाल सिंह, निवासी–छोटीसादड़ी, पुलिस थाना–छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) 03. गोविन्द पिता जुन्जीलाल, निवासी–बरवाड़ा गुर्जर, पुलिस थाना–छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 451, 341, 323/34 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व में पेश जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। (महेश सिंह मीणा) **अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,** छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़ सजा के बिन्दु पर सुना गया। मुल्जिमान अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया, कि मुल्जिमान का यह प्रथम अपराध है। मुल्जिमान भविष्य में कभी ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अतः मुल्जिमान को कारावास से दंडित ना कर परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जावे। अभियोजन अधिकारी ने विरोध किया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह जाहिर होता है कि पूर्व दोषसिद्धि बाबत् मुल्जिमान के विरूद्ध कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मुल्जिमान ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर जुर्म स्वीकार किया है एवं भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने का भी मौखिक वचन दिया है। अतः प्रकरण के उपर्युक्त व अन्य तथ्यों एवं	

परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यह न्यायालय मुल्जिमान को नियमानुसार परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित पाता है।

दण्डादेश

परिणामतः अभियुक्तगण 01. अशोक पिता गोपाल सिंह, निवासी–छोटीसादड़ी, पुलिस थाना–छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) 02. चन्द्रशेखर पिता गोपाल सिंह, पिता गोपाल सिंह, निवासी–छोटीसादड़ी, पुलिस थाना–छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) 03. गोविन्द पिता जुन्जीलाल, निवासी–बरवाड़ा गुर्जर, पुलिस थाना–छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) को दोषसिद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 451, 341, 323/34 आई.पी.सी में तुरन्त कारावास से दण्डित न किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा–4 का लाभ इन शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है कि यदि अभियुक्तगण एक वर्ष के लिए दस–दस हजार रूपये के जमानत–मुचलके, इस शर्त के साथ कि वे इस अवधि में परिशांति व सदाचरण बनाये रखेंगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तथा न्यायालय द्वारा सजा भुगतने हेतु तलब करने पर न्यायालय में उपस्थित होंगे, इस न्यायालय के संतोषप्रद पेश कर तस्दीक करा देवें, तो उन्हें परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत अभियोजन व्यय के रूप में 1000–1000/– रूपये कुल 3,000/– रूपये अधिरोपित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण अशोक, चन्द्रशेखर व गोविन्द को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 का लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्त दोषसिद्धि भविष्य में अभियुक्तगण को किसी प्रकार की निर्योग्यता से ग्रसित नहीं करेगी।

आदेशानुसार अभियुक्तगण ने जमानत–मुचलके पेश किये, जो बाद जांच तस्दीक किये गये तथा जरिये रसीद संख्या /0108015 के आज दिनांक को प्रत्येक अभियुक्त ने 1000–1000/– रूपये कुल 3,000/–रूपये की अभियोजन व्यय की राशी जमा करवाई, जिस पर यह आदेश प्रदान किया जाता है कि धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत जमा अभियोजन व्यय राशि कुल 3000/– रूपये में से 2000/–रूपये प्रकरण के परिवादी/आहत मदनलाल पिता अमृतलाल निवासी दाता भैरव, छोटीसादड़ी को बतौर क्षतिपूर्ति/प्रतिकर बाद गुजरने मियाद अपील दिलाये जावे। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा से उक्तानुसार परिवीक्षा पर रिहा किया गया। पत्रावली पर अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल अभिलेखागार हो।

(महेश सिंह मीणा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़